संख्या- /22-4-2010-104(ब)/06

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक- 4 जून, 2010

विषयः- जिला कारागार उरई में टाइप-4 के एक आवास निर्माण से संबंधित आगणन रु0-14.21 लाख के पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-4470/नम-1 दिनांक-19.02.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार उरई में टाइप-4 के एक आवास के निर्माण हेतु स्वीकृत आगणन लागत रु0-14,21,000.00 (रूपये-चौदह लाख इक्कीस हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1746/22-4-2006-104(ब)/06 दिनांक-10 जनवरी, 2007 एवं शासनादेश संख्या-153/22-4-2008-104(ब)/06 दिनांक-30 जनवरी, 2008 द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी थी। दरों में वृद्धि होने के कारण प्रश्नगत प्रायोजना को रु0-19,54,000.00 (रूपये उन्नीस लाख चौवन हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति महामहिम श्री राज्यपाल शासनादेश दिनांक-10 जनवरी, 2007 में उल्लिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-1249/दस-2010 दिनांक-28 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।

संख्या- 583 (1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2- आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।